

# विद्युत भार बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र

(बढ़े भार सहित अधिकतम 50 कि.वा. कुल भार हेतु)

सर्विस कनेक्शन नं. : .....

उपभोक्ता का नाम : .....

वर्तमान स्वीकृत भार : .....

अतिरिक्त विद्युत भार जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है : .....

उपभोक्ता की श्रेणी : घरेलू बत्ती पंखा/व्यवसायिक बत्ती पंखा/एल.एम.वी.-4/  
निजी नलकूप

अतिरिक्त विद्युत भार हेतु जमा की जा रही

धनराशि (संलग्न गणना के अनुसार) : नकद : .....

चेक संख्या..... दिनांक .....

बैंक का नाम.....

शाखा..... धनराशि रु.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. मैंने विद्युत वायरिंग एवं स्विच आदि की विद्युत सुरक्षा हेतु जाँचे अधिकृत अनुज्ञाधारी से करा ली है। विद्युत सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का मैं पालन करूँगा/करूँगी।
2. मेरा विद्युत आपूर्ति अनुबन्ध बढ़े हुए विद्युत भार के अनुसार न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि के लिए संशोधित माना जाएगा।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

पता : .....

मोबाइल नं. .... फोन नं. : .....

## कार्यालय प्रयोग हेतु

अतिरिक्त विद्युत भार ..... कि.वा. स्वीकृत किया गया।

धनराशि रु. .... जमा करायी जाये।

स्वीकृति के आधार पर उपभोक्ता का कुल विद्युत भार ..... कि.वा. हो जायेगा।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं खण्ड का विवरण

# संयोजित भार की स्वगणना विधि

क्र. सं.	उपकरण	भार
1.	बल्ब/पंखा	उपकरण पर वास्तविक भार अथवा 60 वाट
2.	ट्यूब लाईट	वास्तविक रेटिंग अथवा 40 वाट
3.	टेलीविजन	रंगीन-100 वाट, श्वेत श्याम-60 वाट
4.	लाईट प्लग	03 प्लग तक 60 वाट तथा प्रत्येक 03 अथवा कम के लिए 60 वाट
5.	पावर प्लग	03 प्लग तक 500 वाट तथा प्रत्येक 03 अथवा कम के लिए 500 वाट
6.	फ्रिज	250 वाट
7.	डेजर्ट कूलर	250 वाट
8.	गीजर	1500 वाट
9.	एयर कण्डीशनर 1/1.5 टन	1500 वाट/2200 वाट
10.	वाटर लिफ्टिंग पम्प	180 वाट अथवा 360 वाट, पम्प पर अंकित रेटिंग प्लेट के अनुसार

- टिप्पणी :-** 1. गीजर तथा एयर कण्डीशनर (बिना हीटर) दोनों लगे हैं, तब केवल गर्म करने अथवा ठंडा करने के इन उपकरणों में से मौसम के अनुसार एक भार गणना में लिया जायेगा (01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक एयर कण्डीशनर तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक गर्म करने हेतु)।
2. जो उपकरण लगाए जाने की प्रक्रिया में है तथा विद्युत सर्किट से जुड़ा नहीं है एवं स्टोर में, वेयर हाउस में अथवा शो-रूम में अतिरिक्त के रूप में विक्री हेतु रखा है, उसे संयोजित भार में नहीं जोड़ा जाएगा।
3. उपरोक्त गणना के अनुसार घरेलू उपभोक्ता हेतु 50 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को 75 प्रतिशत विद्युत भार स्वीकृत कराना आवश्यक है।

## विद्युत भार बढ़ाने के लिए देय चार्ज

### सिक््योरिटी चार्ज

क्र. सं.	श्रेणी	सिक््योरिटी रु.
1.	घरेलू बत्ती एवं पंखा	300/कि.वा.
2.	निजी नलकूप	300/कि.वा.
3.	वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा	800/कि.वा.

### भार वृद्धि सिस्टम लोडिंग शुल्क तालिका

भार जो बढ़ाना है	सिस्टम लोडिंग चार्ज (रु.)	भार जो बढ़ाना है	सिस्टम लोडिंग चार्ज (रु.)
1 से 2 किलोवाट	250	2 से 4 किलोवाट	400
1 से 3 किलोवाट	450	2 से 5 किलोवाट	1100
1 से 4 किलोवाट	650	3 से 4 किलोवाट	200
1 से 5 किलोवाट	1350	3 से 5 किलोवाट	900
2 से 3 किलोवाट	200	4 से 5 किलोवाट	700

पाँच कि.वा. व पाँच कि.वा. से पचास कि.वा. तक - रु. 300/कि.वा.

**सर्विस लाइन :** इसके लिए केबिल एवं डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड आदि की व्यवस्था उपभोक्ता स्वयं करेगा।

**मीटर:** यदि बढ़े हुए भार के अनुसार मीटर बदला जाना है तो मीटर का मूल्य उपभोक्ता को जमा करना होगा।

- मीटर का मूल्य :**
1. सिंगल फेज स्टैटिक मीटर : रु. 1000.00
  2. तीन फेज स्टैटिक मीटर : रु. 5000.00
  3. स्टैटिक ट्राइवैक्टर मीटर : रु. 12000.00

**कुल विद्युत भार (बढ़े हुए भार को सम्मिलित करते हुए) 4 कि.वा. तक होने पर मीटर का मूल्य देय नहीं है।**



# विद्युत कॉल सेंटर सेवा

अब डायल कीजिए

टोल – फ्री दूरभाष नं.

## 1800-180-8752

(1800-180-URJA)

और पाईये सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी निम्न सभी प्रकार की बिजली समस्याओं का समाधान

- विद्युत बिल में सुधार न होना।
- नया कनेक्शन न मिलना अथवा मिलने में देरी होना।
- मीटर का न लगना अथवा खराब मीटर न बदलना।
- जर्जर तार/खराब पोल बदलने की समस्या।
- क्षतिग्रस्त परिवर्तक का न बदला जाना।



उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाकर हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें।

**पावर कारपोरेशन**

उत्कृष्ट उपभोक्ता सेवा के लिये कृत संकल्प है।

**आपकी हर समस्या का निदान – अब हुआ ज्यादा आसान**



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

'शक्ति भवन', 10 अशोक मार्ग, लखनऊ